Bhatnagar to examine the additional refining and secondary processing capacity to be set up druing the sixth plan;

(b) if so, whether the committee has submitted its report;

(c) if so, the details of the same; and

(d) if not, when the report is likely to be submitted by them?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The report of the Committee has since been received and is under consideration of the Government.

(d) Does not arise.

Expansion of New Delhi Station

5573. SHRI R. V. SWAMINATHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Government have decided to expand the New Delhi Railway Station;

(b) if so, the total sum required for its expansion programme; and

(c) the details of the expansion?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes.

(b) About Rs. 3.81 crores.

(c) Details of the expansion programme:

S. No.	Name of the work	Estimated cost (In lakhs of Rs.)
1.	New Delhi—provision of additional passenger terminal facilities :— (i) Provision of two washing lines (ii) Provision of two stabling lines. (iii) Provision of booking counters.	58·75
2.	New Delhi—(a) shifting of soft coke handling from New Delhi to Tughlakabad ; (b) shifting of fruit traffic from New Delhi station to Azadpur, and (c) shifting of cement traffic from New Delhi to Shakurbasti	114·79
3.	New Delhi—provision of additional island platform and allied terminal facilities	207·44

Expansion of Railway Stations in South

5574. SHRI R. V. SWAMINATHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether most of the Railway Stations in South need to be expanded.

(b) if so, whether the Ministry had long drawn a proposal to expand these Stations; and

(c) if so, how many Stations will be expanded during the current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Expansion/remodelling of station buildings is planned only when the existing facilities are considered inadequate to meet the needs of passenger and parcel traffic.

(b) Periodically facilities provided at the Railway stations are reviewed in consultation with the Railway Users' Amenities Committee with which public opinion is associated and a programme is drawn for expansion/provision of additional facilities etc.

(c) It is expected that during 1978-79 fifteen stations, in South, where major expansion schemes are in hand, will be completed.

गांव 12 टी० का० के निकट रेल लाइन पार करना

5575. श्री बेगाराम चौहान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगानगर, राजस्थान में रायसीयनगर तथा मोहननगर स्टेशनों क बीच गांव 12 टी० का० के निकट लोगों को रेल लाइन पार करनी पड़ती है ;

(ख) क्या ट्रैक्टरो तथा बैलगाड़ियों पर अपना माल लादकर मंडी ले जाने वाले

किसानों को उस स्थान से रेल लाइन पार करनी पड़ती है जहां कोई रेल फाटक नहीं है;

(ग) क्या वहां रेल फाटक न होने के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है और उनके ट्रैक्टर तथा गाड़ियां रेल लाइन पर फंस जाते हैं।

(घ) क्या गांव टी० का० के अतिरिक्त अन्य 11 गांवों के लोगों को भी उसी स्थान से रेल लाइन पार करनी पड़ती है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि गसीमपुर और जोरावरपुरा के बीच एक बड़ा गांव खूनी मोटासर स्थित है और उसके निवासियों को भी अपने उत्पाद तथा अन्य खाद्य पदार्थ ले जाने के लिये रेल लाइन को पार करना पड़ता है और कि वहां पर भी एक रेल फाटक की जरूरत है ; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार इन स्थानों पर कम से कम बिना चौकीदार वाले रेल फाटक लगायेगी; और यदि हां तो कब ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जी नहीं। रेलपथ पार करने के लिए रायसिंह नगर और मोहन नगर स्टेशनों के बीच दो नियमित समपार (जिनका वाहन यातायात सहित सभी प्रकार के यातायात के लिए उपयोग किया जा सकता है) और 3 डी श्रेणी के पशु समपार (जो केवल पैदल यात्रियों और पशुओं के लिए बने हैं) मौजूद हैं।

(घ) उनके लिए भी उपर्युक्त समपार और पशुओं के गुजरने की सुविधा उपलब्ध है।

(ङ) जी हां, लेकिन गर्जसिंहपुर और जोरावरपुरा स्टेशनों के बीच गांव के लोगों के लिए रेलपथ पार करने के लिए 6 नियमित समपार और 'डी' श्रेणी के 5 समपार उपलब्ध हैं।

(च) वर्तमान समपारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, नये समपारों की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है। यद्यपि वर्तमान नियमों के अनुसार, नये समपारों के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव प्रायोजित किये जाते हैं और उसकी लागत (प्रारम्भिक और आवर्ती/अनुरक्षण दोनों ही) उनके द्वारा वहन की जाती है। नये समपार के लिए लागत वहन करने की सहमति सहित राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा प्रायोजित किसी भी प्रस्ताव के बारे में रेल प्रशासन अनुकूल विचार करेगा।

पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों को बहाल करना

5576. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री आपात स्थिति के दौरान सेवा से हटाये गये पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों के बारे में 20 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4711 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान पश्चिम रेलवे की सेवा से हटाये गये 26 कर्मचारियों को इस बीच बहाल कर दिया गया है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और 463 में से 336 कर्मचारी कब तक बहाल कर दिये जायेंगे ;

(ख) क्या इन 26 तथा 336 कर्मचारियों को कोई मुआवजा दिया जा रहा है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नियमों का उल्लंघन करके सेवा निवृत्ति तथा बर्खास्तगी के आदेश जारी करने के लिये आपात स्थिति संबंधी शक्तियों का